जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 222 वीं बैठक दिनांक 27.11.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाड़ी, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी एलपी) एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री एम.एस.रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त भूमि, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री सी.एस.पाराशर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक मास्टर प्लान जविप्रा, जयपुर।
4. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11 जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12 जविप्रा, जयपुर।
8. श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री नरेन्द्र सिंह तॅवर, उपायुक्त जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी जनसर्म्पक, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, मास्टर प्लान जविप्रा, जयपुर।
12. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन–5 जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–(जोन–14)
एजेण्डा संख्याः–1
222 / 27.11.2014

विषयः– बीपीसी (एल.पी.) की 221 वीं बैठक दिनांक 21.10.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में जोन–14 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 01 के कार्यवाही विवरण की द्वितीय पंक्ति में टंकण त्रुटिवश 80 फीट चौडी सड़क के स्थान पर 60 फीट चौड़ी सड़क अंकित हो गया, जिसे 80 फीट चौड़ी सड़क पढ़ा जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्याः-2 (जोन-2)
222 / 27.11.2014

विषयः-जलमहल हा. को.सो.लि की योजना कान्ता कॉलोनी की भूखण्ड संख्या 34 व 35 क्षेत्रफल 332 व.ग. की लीज डीड जारी करने हेतु

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किये जाकर निर्देशित किया गया कि पूर्व में भूखण्ड संख्या 34 व 35 को किस आधार पर लो लाईंग क्षेत्र में रखा जाकर अस्वीकृत किया गया था एवम् वर्तमान में इन्हें लो लाईंग एरिया में बाहर प्रस्तावित किया जा रहा है ? जोन स्तर से इसकी पूर्ण जॉच की जाकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित एजेण्डा पुनः बी.पी.सी. (एल.पी.) के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाने।

एजेण्डा संख्याः-3 (जोन-5)
222 / 27.11.2014

विषयः-ग्राम बृजलालपुरा तहसील, जयपुर के खसरा नं. 111/6 के रकबा 3478.75 वर्गगज (2908.67 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय (एकल पट्टा) अनुमोदन हेतु

समिति द्वारा विचार विमर्श कर अधीक्षण अभियंता (अमानीशाह नाला) व उपायुक्त जोन द्वारा की गई अनुशंषा को दृष्टिगत रखते हुए व मास्टर विकास योजना 2025 में भू-उपायोग आवासीय होने के कारण उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार आवासीय एकल पट्टा दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्याः-4 (जोन-5)
222 / 27.11.2014

विषयः-ठाकुर बिल्ड होम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भगवती सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह ग्राम गोपालपुरा खसरा नम्बर पुराना नं. 363 नया 487,488,489

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आन्तरिक सड़क की चौड़ाई 30 फीट रखी जावे, तथा भवन विनियम के प्रावधानानुसार फ्रन्ट सैटबैक तालिका अनुसार तथा पार्श्व व पीछे का सैटबैक मूल भूखण्ड में अंकित अनुसार रखा जावे। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक भूखण्ड के उपविभाजन का है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्याः-5 (जोन-6)
222 / 27.11.2014

विषयः-माधव गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान वाटिका के अनुमोदित भूखण्डो में से फार्म हाउस हेतु सडक निकालने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रभावित भूखण्ड संख्या-47 के भू-स्वामी को जोन स्तर से नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना जाकर उससे लिखित में आपत्ति/सुझाव/सहमति ली जावे तथा पूर्व के समस्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण पुनः बी.पी.सी. (एल.पी.) में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–7)
222 / 27.11.2014

विषयः–गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.की योजना लायन्स लेन के भू. सं. 203, 204 व 205 के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुर्नगठन किये जाने की स्वीकृति दी गई। पुर्नगठित भूखण्ड में पैरामीटर, भवन विनियम के अनुसार रखे जाकर पुर्नगठन प्लान जारी किया जाने।

एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–9)
222 / 27.11.2014

विषयः–ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, कुल किता 8 रकबा 3.67 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र पर आवासीय योजना श्रीरामविहार का मौके के अनुसार संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना को संशोधित मानचित्र के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–11)
222 / 27.11.2014

विषयः–परिधि नियंत्रण पट्टी में गैस गोदाम के प्रावधान निर्धारण करने के नीतिगत निर्णय के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि परिधीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्टर विकास योजना 2025 के प्रावधान वोल्यूम–4 बिन्दु 10.2.1.10 के परिपेक्ष में गैस गोदाम आवासीय / आबादी क्षेत्र से 200 मीटर दूरी पर, 18 मी. चौड़ी सड़क पर, न्यूनतम 1000 वर्गमीटर भूखण्ड पर अनुज्ञेय किया जावे। जिसमें सैटबैक भवन विनियम के अनुसार व ऊचाई अधिकतम 9 मीटर अनुज्ञेय की जावें।

एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–12)
222 / 27.11.2014

विषयः–निजी खातेदारी की आवासीय योजना सचिवालय एन्कलेव में अर्फोडेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी को रिजीज किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा प्रस्तुत एजेंण्डा में प्रस्तावित ईडब्ल्यूएस / एल.आई.जी के भूखण्डों को अफोर्डेबल हाउसिंग से मुक्त कर दिया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित योजनाओं जिनमें 90बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व की गई है उनमें निजी खातेदारों को समस्त उपायुक्त जोन स्तर से नोटिस जारी किये जावे कि यदि वे योजना में ईडब्ल्यूएस / एल.आई.जी को अर्फोडेबल पालिसी के तहत हटवाना चाहते है तो दिनांक 31.12.2014 तक आवेदन करें, इसके पश्चात् ईडब्ल्यूएस / एल.आई.जी. के भूखण्डों को अर्फोडेबल पालिसी से हटवाने की कोई भी कार्यवाही भविष्य में नहीं की जावेगी। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी जारी की जावें।

एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–13)
222 / 27.11.2014

विषयः–राजस्व ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर में श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता को 149 / 473 रकबा 0.0578 हेक्टे. 162 / 470 रकबा 0.0676 हेक्टे किता–2 कुल रकबा 0.1254 हेक्टे. भूमि पर दिनांक 06.03.2014 को जारी 1253.94 वर्गमीटर भूमि का आवासीय एकल पट्टा एवं श्री विकास जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार खसरा नम्बर 162 / 471 रकबा 0.0500 हेक्टे. 149 / 472 रकबा 0.654 हेक्टे. 150 / 480 0.0100 हेक्टे. किता–3 कुल रकबा 0.1254 हेक्टे. भूमि पर दिनांक 06.03.2014 को जारी 1253.94 वर्गमीटर के पुनर्गठन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुर्नगठन के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड के पैरामीटर्स भवन विनियम के प्रावधान अनुसार रखे जावें। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।

एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–13ए)
222 / 27.11.2014

विषयः–राजस्व ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 508 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि के रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ, सुविधा क्षेत्र हेतु आवेदक से छुड़वाई गई 322.00 वर्गमीटर भूमि के END USE निर्धारण एवं आवंटन हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्ताव अनुसार एण्ड यूज रखे जाने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन का निर्णय भूमि एवम् सम्पत्ति समिति से करवाया जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यह सुविधा क्षेत्र आवेदक को आवंटित नही होता है तो सुविधा क्षेत्र भूखण्ड के एण्ड यूज में परिवर्तन का अधिकार बी.पी.सी. (एल.पी.) को होगा।

एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–14)
222 / 27.11.2014

विषयः–अंसल जेकेडी पर्ल डवलपर्स प्रा.लि. 401 पर्ल सुर्यवंशी ए–5 चतुर्थ फ्लोर सरदार पटेल मार्ग चौमू सर्किल जयपुर के द्वारा ग्राम मानपुर टीलावाला तह. सांगानेर की भूमि पर आवासीय योजना फ्लोरेन्स टाउन के ब्लॉक–ए में संशोधन बाबत्।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना के संशोधित ब्लाक–ए का प्रस्ताव स्वीकृत किया जावें।

एजेण्डा संख्याः–13 (जोन–15)

222 / 27.11.2014

विषयः– एस्मा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री बाबूलाल गुरनानी पिता श्री रेवाचन्द गुरनानी निवासी–230 सिन्धी कॉलोनी राजापार्क, जयपुर द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। विकासकर्ता द्वारा धारा 90ए के कुल क्षेत्रफल 10.15 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर पर योजना प्रस्तावित की गई, जिसे समिति द्वारा स्वीकार्य किये जाकर योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त जोन द्वारा सरपंच की आपत्ति के संबंध में समिति को अवगत करवाया गया, योजना में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए योजना में प्रस्तावित की गई है, अतः भविष्य में आम खातेदारों की भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर इस 60 फीट चौड़ी सड़क की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1 (जोन–14)

222 / 27.11.2014

विषयः– ड्राफ्ट सेक्टर प्लान 81 में प्रस्तावित 132 के. वी. एच.टी. दर्शित लाईन को निरस्त किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेक्टर प्लान 81 में दर्शित 132 के.वी. एच.टी. लाईन के संबंध में जोन द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात यदि मौके पर 132 के.वी. एच. टी. लाईन नही है तो सेक्टर प्लान 81 मे उक्त एच.टी.लाईन को विलोपित कर संशोधित सेक्टर प्लान जारी किया जाये।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2 (जोन–6)

222 / 27.11.2014

विषयः– म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना तारानगर ए झोटवाडा में 100 फीट चौडी सेक्टर रोड के अलाईन्मेंट में परिवर्तन बाबत्।

समिति द्वारा पत्रावली सीधे ही बीपीसी (एल.पी.) की बैठक में मंगवायी गई। प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि सेक्टर रोड का अलाईन्मेंट परिवर्तन नही किया जावे, क्योंकि जोन द्वारा पूर्व अनुमोदित 100 फीट सेक्टर रोड के अलाईन्मेंट अनुसार भूखण्डों की लीज डीड जारी की जा चुकी है। प्रश्नगत प्रकरण में योजना की 30 फीट चौडी सडक को 100 फीट चौडा किया जाने के प्रस्ताव से अनुमोदित ले–आउट प्लान की ओपन दर्शित भूमि सडक हेतु 70फीट (लम्बाई में) शामिल करनी होगी जो उचित नही है। यह सेक्टर रोड अलाईन्मेंट संशोधन का ना होकर योजना में संशोधन का है। अतः जोन मौका रिपोर्ट आदि के साथ विस्तृत प्रस्ताव बाबत पुनर्विचार आगामी बीपीसी (एलपी) में प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3 (जोन–5)

222 / 27.11.2014

विषयः– टी.एन मिश्रा रोड के अलाईन्मेंट के संबंध में ।

प्रकरण की पत्रावली जोन द्वारा सीधे ही बीपीसी (एल.पी.) की बैठक में प्रस्तुत की गई। जोन के उपायुक्त व सहायक नगर नियोजक जोन द्वारा प्रकरण के तथ्य विस्तार से समिति के समक्ष रखे गये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संतोष नगर योजना के अनुमोदन के समय सेक्टर रोड का जो अलाईन्मेंट रखा गया था उससे प्रभावित भूखण्डों को गैर अनुमोदित रखा जाकर उक्त भूखण्डों की लीज डीड जारी नही की गयी है। अतः अनुमोदित योजना संतोष नगर व पदमावती कॉलोनी–II में दर्शाये गये सेक्टर रोड के अलाईन्मेंट के अनुसार ही 160 फीट चौडी सेक्टर रोड का अलाईन्मेंट रखा जावे। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्ताव अनुसार 160 फीट चौडी सेक्टर रोड का अलाईन्मेंट अनुमोदित योजना संतोष नगर व पदमावती कॉलोनी–II अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

02/12/14

सदस्य सचिव

बीपीसी (ले आउट प्लान)

क्रमांक :–जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / 2014 / डी–267 दिनांक :– 02/12/2014

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि). / पुर्नवास / पी.आर.एन जयपुर।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

02/12/2014

वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीपीसी (ले आउट प्लान)